न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
075/2016 (GCMS 2016/00095)	21.09.2016	29.01.2021

अनवान

1. मांगीलाल आत्मज प्यारचन्द धाकड उम्र वयस्क निवासी शादी तहसील बेंगूॅ जिला चित्तौड़गढ़।
2. अशोककुमार पिता मांगीलाल धाकड उम्र वयस्क निवासी शादी तहसील बेंगूॅ जिला चित्तौड़गढ़।

अपीलान्टगण

बनाम

1. मांगीबाई पति मांगीलाल मेहर उम्र वयस्क निवासी शादी तहसील बेंगूॅ जिला चित्तौड़गढ़।
2. चांदमल पिता मांगीलाल मेहर उम्र वयस्क निवासी शादी तहसील बेंगूॅ जिला चित्तौड़गढ़।
3. कैलाश पिता मांगीलाल मेहर उम्र वयस्क निवासी शादी तहसील बेंगूॅ जिला चित्तौड़गढ़।
4. मनीष पिता मांगीलाल मेहर उम्र वयस्क निवासी शादी तहसील बेंगूॅ जिला चित्तौड़गढ़।
5. बंशीलाल मांगीलाल मेहर उम्र वयस्क निवासी शादी तहसील बेंगूॅ जिला चित्तौड़गढ़।
6. गीता पिता मांगीलाल मेहर उम्र वयस्क निवासी शादी तहसील बेंगूॅ जिला चित्तौड़गढ़।
7. समेत्रा पिता मांगीलाल मेहर उम्र वयस्क निवासी शादी तहसील बेंगूॅ जिला चित्तौड़गढ़।
8. सुशीला पिता मांगीलाल मेहर उम्र वयस्क निवासी शादी तहसील बेंगूॅ जिला चित्तौड़गढ़।
9. पटवारी हल्का शादी।

रेस्पोर्डेंट्स

–:: प्रथम अपील रेवेन्यू अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय तहसीलदार बेंगूॅ दिनांक 28.07.2016 बमामले प्र0सं0 001/2016 रेवेन्यू प्रार्थना पत्र प्र0सं0 01/2016 रे0प्रा0 ::–

उपस्थिति :–	श्री सत्यनारायण ईनाणी	अधिवक्ता अपीलांट
	श्री भैरूलाल सालवी, (राजकीय अधिवक्ता)	रेस्पोर्डेंट संख्या 9
	अनुपस्थित	रेस्पोर्डेंट संख्या 1 से 8

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्टस ने अपीलांटस के विरुद्ध पाल्टर पर आवेदन प्रस्तुत कर रहन छुड़ाने की प्रार्थना की जो वास्ते कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय में दर्ज हुई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स को ग्राम शादी की आराजी संख्या 55 के जूज रक्बा 0.03 हेक्टेयर पर अतिक्रमी घोषित कर बेदखली का आदेश दिया। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:29:10 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तथ्यों के विपरीत है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने नियमानुसार कोई कार्यवाही नहीं की एवं मन मकसूद ढंग से अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर दिए बिना यह आदेश पारित किया जो विधि विपरीत होकर निरस्त होने योग्य है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि अपीलांट्स का स्पष्ट कथन था कि सही नाप किए जाने पर वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने मन मकसूद ढंग से पर्चा मौका बनाया, जो तत्वों के विपरीत है। वास्तविकता यह है कि अपीलांट्स कें उत्तर की तरफ रेस्पोडेंट की आराजी है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने अनाधिकृत कब्जा अपीलांट्स की आराजी के पूर्व तरफ भी माना है, जबकि अपीलांट्स की आराजी के पूर्व में रास्ता स्थित है, ऐसी अवस्था रास्ते व अपीलांट्स की आराजी के मध्य रेस्पोडेंट्स की आराजी कैसे हो सकती है, इस तथ्य की अधीनस्थ न्यायालय ने जानबूझकर अनदेखी व अवहेलना की है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह रकबा रेस्पोडेंट्स की ओर से अपीलांट्स के रहन होना मानकर रहन से बागुजाश्त करने का आदेश दिया है, जो तथ्यों के विपरीत है। रहन बाबत कोई रिकार्ड एवं साक्ष्य ही नहीं है, और न ही अधीनस्थ न्यायालय रहन बागुजाश्त करने का आदेश देने हेतु सक्षम है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स के विरुद्ध पुलिस की सहायता लेने का भी आदेश दिया है जो उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है एवं उनके पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स विरुद्ध शास्ति आरोपित करने का आदेश दिया जो पूर्णतया विधि के विपरीत है। निर्णय दिनांक 28.07.2016 को करना बताया गया जिसकी अभियान को कोई सूचना वह जानकारी नहीं थी। अपीलांट्स को दिनांक 17.08.20216 को गांव में अफवाह सुनने पर इसकी जानकारी हुई। जिस पर उसी रोज नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जो नकल दिनांक 29.08.2016 को प्राप्त हुई जिससे यह अपील 30 दिन की अवधि में प्रस्तुत है। साथ में दफा 5 कानून याद का आवेदन में शपथ पत्र प्रस्तुत है अतः प्रार्थना है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावे।

इस पर अपील अपीलांट्स दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस के तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 से लगातय 8 तक के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से दिनांक 28.08.2019 को कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। रेस्पोडेंट संख्या 9 की और से राजकीय अधिवक्ता हाजिर आये। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। तहसीलदार बेंगूॅ के पत्रांक/राजस्व/2016/2046 दिनांक 26.12.2016 से उनकी पत्रावली संख्या 001/2016 अनवानी मांगीबाई बनाम मांगीलाल वगैराह अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रेषित की गई जो कि पत्रावली के हम किता है।

दिनांक 29.01.2021 को अधिवक्ता अपीलांट के बहस के निवेदन पर राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में सीधे बहस किये जाने की सहमति पर उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:29:10 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस अपील को उभयपक्ष सुना गया। अधिवक्ता अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि दिनांक 28.07.2016 की देरी निर्णय की जानकारी नहीं होने एवं तत्पश्चात् की देरी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने एवं विधिक सलाह प्राप्त करने से हुई है जिससे अपील प्रस्तुती में हुई समस्त देरी को कण्डोन किया जाना न्यायोचित है। अतः मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई समस्त देरी को कण्डोन किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें। इस पर राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया और अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेखों पर दृष्टिपात कराया कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका पर अपीलांट के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी अंकित है एवं अपीलांट्स आदेश दिनांक 28.07.2016 की जानकारी होने के बावजूद अपीलांट्स द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर खारीज फरमाया जावें। इस पर विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस मियाद के रिवटल में निवेदन किया कि अपीलांट की न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखते उससे पूर्व ही उपस्थिति दर्ज कर निर्णय कर दिया जिसकी जानकारी भी अपीलांट को नहीं दी गई एवं ना ही किसी भी प्रकार का आदेश सुनाया गया। ऐसी स्थिति में अपीलांट को निर्णय दिनांक 28.07.2016 की जानकारी प्राप्त नहीं हुई एवं इसी आशय का शपथ पत्र न्यायालय में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किया गया है, अतः अपील प्रस्तुती में हुई समस्त देरी को क्षम्य किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

हमने पत्रावली को अवलोकन किया। मियाद प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्रों का अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस मियाद प्रार्थना पत्र का मनन किया। प्रकरण जायदाद से संबंधित से ऐसी स्थिति में प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना ही उचित प्रतीत होता है, ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुती के हुये विलम्ब को क्षम्य किया जाता है, एवं अपील अपीलांट अन्दर अवधि शुमार की जाती है।

इसके पश्चात् उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस अपील को उभयपक्ष सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने नियमानुसार कोई कार्यवाही नहीं की एवं मन मकसूद ढंग से अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर दिए बिना यह आदेश पारित किया जो विधि विपरीत होकर निरस्त होने योग्य है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि अपीलांट्स का स्पष्ट कथन था कि सही नाप किए जाने पर वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने मन मकसूद ढंग से पर्चा मौका बनाया, जो तत्वों के विपरीत है। वास्तविकता यह है कि अपीलांट्स कें उत्तर की तरफ रेस्पोडेंट की आराजी है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने अनाधिकृत कब्जा अपीलांट्स की आराजी के पूर्व तरफ भी माना है, जबकि अपीलांट्स की आराजी के पूर्व में रास्ता स्थित है, ऐसी अवस्था रास्ते व अपीलांट्स की आराजी [illegible] रेस्पोडेंट्स की आराजी कैसे हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:29:10 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सकती है, इस तथ्य की अधीनस्थ न्यायालय ने जानबूझकर अनदेखी व अवहेलना की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें। इस पर विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि एवं नियमों के अनुसार निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेंट्स जाति से मेहर होकर राजस्थान सरकार द्वारा घोषित अनुसूचित जाति/जनजाति सूची अनुसार अनुसूचित वर्ग में आते हैं। जबकि अपीलांट जाति से धाकड़ होकर सामान्य वर्ग की श्रेणी में आते हैं। इनके द्वारा आपस में भूमि का हस्तांतरण करना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 बी के अनुसार अवैध है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 43 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप रेस्पोडेंट्स कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य देश से विधिक निर्णय पारित किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की भूल/त्रुटि नहीं की गई है, जिस से अपील अपीलांट खारिज किए जाने योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस समाप्त की। बहस के रिवटल में अधिवक्ता अपीलांट ने बताया कीअधीनस्थ न्यायालय ने यह रकबा रेस्पोडेंट्स की ओर से अपीलांट्स के रहन होना मानकर रहन से बागुजाश्त करने का आदेश दिया है, जो तथ्यों के विपरीत है। रहन बाबत कोई रिकार्ड एवं साक्ष्य ही नहीं है, और न ही अधीनस्थ न्यायालय रहन बागुजाश्त करने का आदेश देने हेतु सक्षम है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स के विरुद्ध पुलिस की सहायता लेने का भी आदेश दिया है जो उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है एवं उनके पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स विरुद्ध शास्ति आरोपित करने का आदेश दिया जो पूर्णतया विधि के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। सुनी गई बहस का मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रखा गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। हमने पत्रावलियों का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन कराया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेखों का गहनता पूर्वक अवलोकन/ परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावलियों का मनन किया। हस्तगत अपील के संबंध में निर्णय के बिन्दु पर विचार करने में न्यायालय के समक्ष निर्णय का बिन्दु यह उभर कर आता है कि – “ **क्या अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बेंगूॅं द्वारा अपने प्रकरण संख्या 001/2016 निर्णय दिनांक 28.07.2016 में किसी प्रकार से विधिक भूल/त्रुटि कारित की गई है?, अगर हॉ तो उचित निर्णय क्या होगा?**”

हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावलियों का मनन किया। प्रश्नगत आराजीयात के खातेदार रेस्पोडेंट्सगण है जिस तथ्य को उभयपक्ष द्वारा स्वीकार किया गया है। रेस्पोडेंट्स जाति से मेहर होकर राजस्थान सरकार द्वारा घोषित अनुसूचित जाति/जनजाति सूची अनुसार अनुसूचित वर्ग में आते हैं। जबकि अपीलांट जाति से धाकड़ होकर सामान्य वर्ग

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:29:10 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की श्रेणी में आते हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42, 43 एवं 183 बी में प्रावधान किये गये है कि –

42B. Declaration as valid of sale, gift and bequest— Where any sale, gift or holding before the commencement of the Rajasthan Tenancy (Second Amendment) Act, 1992 Act No. 22 of 1992 was void on account of contravention of any of the provisions of clause (a) of section 42, as it stood before the said amendment Act of 1992, such sale, gift or bequest may be declared to be valid by the Collector or any officer or authority empowered by the State Government in this behalf on an application made to him or it within such time and in such manner and on payment of such fee and penalty as may be prescribed: Provided that-

(a) such sale, sift or bequest was otherwise legally valid and in conformity with the provisions of the laws for the time being in force except those contained in clause (a) of section 42 as aforesaid:

(b) the parties to the sale, or bequest comply with all the terms and conditiOns as may be prescribed by the rules or by any special or general order:

(c) the payment is -made of such premium or penalty as may be prescribed:

(d) the applicant undertakes to pay urban assessment levied at such rate and in accordance with such manner as may be prescribed.

43. Mortgage— (1) A Khatedar tenant, or with the general or special permission of the State GoVernment or any officer authorised by it in this behalf a Gair Khatedar tenant may hypothecate or mortgage his interest in the whole or part of his holding for the purpose of obtaining-loan from the State Government or Land Development Bank as defined in the Rajasthan Co-operative Societies Act. 1965 (Act 13 of 1965) or a Co-operative Society registered or deemed to be registered as such under the said Act or any Scheduled Bank or any other institution notified by the State Government in that behalf.

(2) A Khatedar tenant may transfer his interest in the whole or part of his holding in the form of usufructuary mortgage to any person but such mortgage must provide that the mortgage amount shall be deemed to be. paid off by the usufruct of the property within a specified time not exceeding five years. and in the absence of such period being specified such mortgage shall be deemed to be for five years :

Provided that on or after the publication of the Rajasthan Tenancy (Pnenchrent) Act. 1970 in the official Gazette no Kharedar tenant being a member of a scheduled caste or schedule tribe shall so transfer his rights in the whole or a part of his holding to any person who is not a member of a scheduled caste or a scheduled tribe.

183B. Summary ejectment of trespasser of the land held by a member of a scheduled caste or a scheduled tribe— (1) Notwithstanding to the contrary contained in any provision of this Act, a trespasser who has taken or retained possession, without lawful authority of land held by a tenant belonging to scheduled caste or scheduled tribe shall be liable to ejectment on an application of the person or persons entitled to evict him or on the application, in the prescribed manner; of a further liable to pay as penalty for each agricultural year during the whole or any part whereof he has been in such possession, a sum which may extend to fifty times the annual rent.

(2) The inquiry on an application under sub-section (1) shall be made in a summary manner and shall be concluded, as far as practicable, within the prescribed period and after affording a reasonable opportunity of being heard to the person alleged to be a trespasser.

Signature Not Verified

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 एवं 43(2) के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपधारा (2) के अधीन

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:29:10 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कोई भोग बन्धक एतत्पूर्ण वर्णित अवधि के अवसान पर बंधककर्त्ताद्वारा किसी प्रकार कोई भी संदाय किएबिना पूर्णतः चुकाया जा चुका समझा जायेगा, तथा बन्धक ऋण निर्वापित हो चुका समझा जायेगा और बन्धकाधीन भूमि का मोचन किया जा चुका समझा जायगा और बंधकदार उसका कब्जा बंधककर्त्ता को समस्म विल्लंगामों से मुक्त रूप से परिदत्त कर दिया जायगा। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बेंगूॅ द्वारा अपीलांट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत कार्यवाही की जाकर नियमानुसार विधिक निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुख्ता दस्तावेज के आधार पर अपीलांट के विरूद्ध अतिक्रमण की कार्यवाही की गई है। जिस पर अपीलांट् द्वारा अतिक्रमण किया गया जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाकर विधिक निर्णय पारित किया गया है। विवादित आराजीयात जिस पर अपीलांट् द्वारा अतिक्रमण किया गया जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को अतिक्रमी करार दिया जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.07.2016 द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाकर विधिक निर्णय पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलांट को प्रश्नगत आराजीयात का अतिक्रमी करार दिये जाने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार से विधिक भूल किया जाना प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.07.2016 में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बेंगूॅ द्वारा पारित किया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.07.2016 विधि सम्मत होकर इसमे किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है, एवं अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.07.2016 संपुष्ट किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय हाजा में विचाराधीन अपील अपीलान्ट्स सारहीन होने से खारीज की जाती है, एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बेंगूॅ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.07.2016 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **29.01.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
अतिरिक्त कलेक्टर,
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:29:10 IST
Reason: SelfAttested